अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
44 / 20	4.11.2020	20/1/2023

बउनवान

1. चेतन आयु 20 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)।
2. भूपेन्द्र आयु 17 वर्ष अवयस्क पुत्र राधेश्याम जाति मीना जरिये वलीया माता द्रोपदीवाई जाति मीना निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)।

– वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री कजोड जाति मीना निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा (राज0) की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं0 138 में खसरा संख्या 145 रकबा 0.34 है0, खसरा संख्या 160 रकबा 1.22 है0, खसरा संख्या 19 रकबा 2.01 है0, खसरा संख्या 212 रकबा 0.79 है0, खसरा संख्या 22 रकबा 1.54 है0, खसरा संख्या 352 रकबा 1.48 है0, खसरा संख्या 372 रकबा 0.03 है0, खसरा संख्या 38 रकबा 0.66 है0 कुल खसरे 8 कुल रकबा 8.07 है0 भूमि स्थित है। जिसे आगे वादपत्र मे विवादित भूमि के रूप में संबोधित किया गया है।

विवादित भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता स्वर्गीय कजोड पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी जोरावरपुरा से विरासत में प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है। वादीगण, प्रतिवादी कम 1 के सहदायिक है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि में सहदायिकी हित है व वादीगण अपने 1/3–1/3 निहित हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वादीगण, प्रतिवादी कम 1 के समान ही विवादित भूमि पर अपने 1/3–1/3 हिस्से की भूमि शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। किन्तु वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण, वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि को उन्नत करवाने, आवश्यक भूमि सुधार करने, राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं तथा वित्तिय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में घोर कठिनाईयों का सामना करना पडता है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड में अपने निहित हिस्से की घोषणा करवाकर उसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। दिनांक 28.10.2020 को वादीगण ने प्रतिवादी कम 1 से विवादित भूमि में उनके हिस्सा भूमि को पृथक से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने बाबत निवेदन कर दिया तो उन्होने स्पष्ट इंकार कर दिया इस वादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 2 के समक्ष उक्त भूमि स्वंय की खातेदारी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया जो उन्होने न्यायालय श्रीमान में कार्यवाही करने हेतु हिदायत की, इस पर वादीगण को न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पडा है।

प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। उन्हें केवल मात्र न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना करनी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 से कोई विशेष अनुतोष वांछित नहीं है।

विवादित भूमि में वादी कम 1 को 1/3 हिस्से की भूमि का तथा वादी कम 2 को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में तद्नुसार इन्द्राज किया जावे। वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि में वादीगण के निहित 1/3, 1/3 हिस्से की भूमि को विधिवत् विभाजित किया जावे एवम् पृथक से लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी कम 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि वादीगण को विवादित भूमि के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन की गई। प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री कमल बंसल द्वारा वकालतनामा एवं इकबाली जवाब दावा पेश किया। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में प्रक्षकारान् के मध्य आपसी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

सहमति से राजीनामा हो चुका है जो पत्रावली में शा0फा0 है। अतः मुताबिक राजीनामा/इकबाली जवाब दावा प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड का एवं इकबाली जवाब दावे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074– 2077 माल ग्राम जोरावरपुरा पटवार हलका जोरावरपुरा भू0अ0नि0 करवाड तहसील पीपल्दा में प्रतिवादी कम 1 राधेश्याम पुत्र कजोड हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. देह खोतदार राहिन(पूर्ण खाता) सेन्ट्ल बैक ऑफ इंडिया शाखा इटावा दर्ज रेकार्ड है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, इकबाली जवाबदावा, एवं राजीनामा के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् में मध्य विभाजन किया जाता है।

1– वादी कम 1 के हिस्से की भूमि – ख.न. 22 रकबा 1.54 है0,ख.न. 145 रकबा 0.34 है0 ख.न. 38 रकबा 0.66 मे से दक्षिणी दिशा की 0.33 है0 आराजी ख.न. 352 रकबा 1.48 है0 में से उत्तरी दिशा की 0.74 है0 कुल किता 4 की 2.95 है0 आराजी।
दक्षिणी

2– वादी कम 2 के हिस्से की भूमि – ख.न. 19 रकबा 2.01है0 ख.न.38 रकबा 0.66 मे से उत्तरी दिशा की 0.33 है0 ख.न. 352 रकबा 1.48 है0 में से उत्तरी दिशा की 0.74 है0 कुल किता 3 की 3.08 है0 आराजी।

3– प्रतिवादी कम 1 हिस्से की भूमि – ख.न.160 रकबा 1.22 है0ख.न. 212 रकबा 0.79 है0,ख.न. 372 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2.04 है0 कृषि भूमि।

यदि विवादित आराजीयात पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1– चेतन आयु 20 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)।

2– भूपेन्द्र आयु 17 वर्ष अवयस्क पुत्र राधेश्याम जाति मीना जरिये वलीया माता द्रोपदीवाई जाति मीना निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)।

– वादीगण

बनाम

1– राधेश्याम पुत्र श्री कजोड जाति मीना निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

2– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेन्द्र मीनाा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू कमल बंसल मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः वाद वादीगण मुताबिक इकबाली जवाबदावा स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

1– वादी कम 1 के हिस्से की भूमि – ख.न. 22 रकबा 1.54 है0,ख.न. 145 रकबा 0.34 है0 ख.न. 38 रकबा 0.66 मे से दक्षिणी दिशा की 0.33 है0 आराजी ख.न. 352 रकबा 1.48 है0 मे से दक्षिणी उत्तरी दिशा की 0.74 है0 कुल किता 4 की 2.95 है0 आराजी।

2– वादी कम 2 के हिस्से की भूमि – ख.न. 19 रकबा 2.01है0 ख.न.38 रकबा 0.66 में से उत्तरी दिशा की 0.33 है0 ख.न. 352 रकबा 1.48 है0 मे से उत्तरी दिशा की 0.74 है0 कुल किता 3 की 3.08 है0 आराजी।

3– प्रतिवादी कम 1 हिस्से की भूमि – ख.न.160 रकबा 1.22 है0ख.न. 212 रकबा 0.79 है0,ख.न. 372 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2.04 है0 कृषि भूमि ।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

विवादित आराजीयात् पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी मुर्तिब की जावे।

डिकी मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 20/1/2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा
इटावा